



पवित्र माह श्रावण मास के चौथे सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में स्थित शिव मंदिर में भगवान महादेव की विधिवत् पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के मंगल व खुशहाल जीवन की कामना की।

आरक्षण कोटे में कोटा के फैसले को लागू नहीं करेगी सरकार

गत 9 अगस्त को हुई कैबिनेट मीटिंग में ही प्र.मंत्री मोदी ने इस बारे में फैसले ले लिया था

■ कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों ने खुलकर सुप्रीम कोर्ट फैसले का स्वागत किया था। लेकिन दलित नेताओं ने शुरू में ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि वो इस फैसले के साथ नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। 9 अगस्त को ही देर रात केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इस सिलसिले में फैसला ले लिया कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। भाजपा के इस फैसले को देखते हुए इंडिया गठबंधन के दलों में हलचल मच गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी आनन-फानन में फैसले लिए, देखते ही देखते दलित सब कोटे पर देश की राजनीति ही बदल गई।

सुप्रीम कोर्ट ने दलित सब कोटे के फैसले पर जिस दिन मुहर लगाई उसी दिन तेलंगाणा के मुख्यमंत्री रेवथ रेड्डु ने

चाह रहे हों. क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्राओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके और सेफोलॉजिस्ट के रूप में महहूर हो चुके योगेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में एक ऑर्टिकल लिखकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की भूरि-भूरि तारीफ की. यादव के इस लेख के बाद ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी भी इस फैसले की जल्द ही तारीफ करेंगे. पर इस बीच 9 अगस्त को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के दलित कोटे में कोटा बनाने के फैसले से दूरी बना ली। केंद्र सरकार ने किलर कर दिया कि सरकार भीम राव आंबेडकर के बनाए संविधान के हिस्सा व आरक्षण लागू करने में विश्वास रखती है. जाहिर था कि कांग्रेस ने आनन-फानन में अपनी पॉलिसी बदली. 10 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी दलित सब कोटे का विरोध कर दिया।

कनॉटक के मुख्यमंत्री सिद्धामैया ने भी कहा कि उनके राज्य में जल्द ही इस फैसले का क्रियान्वयन किया जाएगा। इन दोनों में राज्यों में कांग्रेस और सरकार होने के चलते आम तौर पर यही धारणा बनी कि पार्टी इस फैसले का स्वागत करेगी। पर कांग्रेस पार्टी का अधिकारिक बयान नहीं आया। हो सकता है कि कांग्रेस के नेता पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख देखना

मनीष सिसोदिया की तरह केजरीवाल की भी रिहाई होगी?

दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई के संकेत दिये

नयी दिल्ली, 12 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी (मुख्यमंत्री) याचिका पर शीघ्र सुनवाई का सोमवार को संकेत दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विचार करने का संकेत देते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता एम सिंघवी और चंद्र उदय सिंह से मामले से संबंधित एक अनुरोध इमेल के जरिये भेजने को कहा। दोनों अधिवक्ताओं ने विशेष उल्लेख के दौरान केजरीवाल का पक्ष रखते हुये उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध का अनुरोध किया था।

■ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी को संबंधित मामले के संबंध में ईमेल भेजने के लिए कहा है।

■ अगर ऐन मौके पर सी.बी.आई. की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती तो केजरीवाल अब तक जेल से रिहा कर दिये गये होते। शीर्ष अदालत ने मनी लॉण्डरिंग के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से दर्ज मुकदमे में केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज मुकदमा रद्द करने और जमानत के लिये दायर उनकी याचिकायें पांच अगस्त को खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुये

कहा था कि सीबीआई के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने का पर्याप्त कानूनी आधार था।

न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा था, यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिन किसी न्यायोचित कारण के की गयी। उच्च न्यायालय ने तब गुण-दोष के आधार पर इस मामले में कोई निर्णय

लेने से इनकार कर दिया, लेकिन निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की छूट दी थी एकल पीठ ने जमानत याचिका पर कहा था कि याचिकाकर्ता को निचली अदालत जाने की छूट है। एकल पीठ के समक्ष सीबीआई के एसपीपी रिपोट एसपीपी डी पी सिंह ने दलील देते हुए कहा था कि आरोपी केजरीवाल भ्रष्टाचार के इस मामले सूत्रधार है और उनके खिलाफ इस मामले में स्पष्ट सबूत हैं। ईडी ने 21 मार्च और सीबीआई में 26 जून 2024 को आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमे में मार्च से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को अदालत की अनुमति के बाद 25 जून को पूछताछ और फिर 26 जून को गिरफ्तार किया था।

एस.आई. पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खिलाफ पर्याप्त सबूत होने पर उनकी गिरफ्तारी की गई। एस.ओ.जी. ने गिरफ्तारी के 24 घंटे में आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया और इसमें कानूनी प्रावधानों की अवहेलना नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को कहा है कि वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने पक्ष में साक्ष्य पेश कर सकते हैं और नियमित जमानत की अर्जी लगा सकते हैं।

मामले में आरोपी सुभाष बिश्नोई, राकेश भामू, मनीष बेनीवाल और दिनेश बिश्नोई, सुरेंद्र कुमार व मालाराम ने दो

एस.एल.पी. के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट के 8 मई 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर जयपुर मेट्रो-द्वितीय की सी.एम.एम. कोर्ट का, 11 ट्रेनी एस.आई. व एक कॉन्स्टेबल सहित 12 आरोपियों की सशर्त रिहाई के निर्देश देने वाला 12 अप्रैल का आदेश रद्द कर दिया था। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथ्रा व सिद्धार्थ दवे ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर सी.एम.एम. कोर्ट के आदेश को बहाल कर उन्हें जमानत देने का आग्रह किया था। इसके विरोध में राज्य सरकार के ए.ए.जी. शिवमंगल शर्मा ने कहा कि एस.ओ.जी. ने आरोपियों को गिरफ्तारी के 24 घंटे में ही कोर्ट में पेश कर दिया था और इससे पहले उन्हें पूछताछ के लिए ही बुलाया था।

भाजपा व विपक्ष यू.पी. के बाय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूरा जोर इसलिए लगा रही है ताकि वह फेजाबाद (अयोध्या) लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के हाथों हुई अपनी हार का बदला ले सके। जातव्य है कि सपा कार्यकर्ता मोहन खान तथा राजू खान द्वारा 12 वर्षीय बालिका के साथ किये गये गैंग रेप के बाद, अवधेश प्रसाद की जीत की आभा मंद पड़ गई।

जहाँ मिलकीपुर का जातीय गणित बड़े पैमाने पर सपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है, वहीं भाजपा को उक्त गैंगरेप मामले के बाद इस क्षेत्र का माहौल उसके पक्ष में हो जाने की आशा है। इसी के साथ, भाजपा बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ अपने प्रचार-अभियान को लेकर भी आशान्वित है।

जहाँ इंडिया ब्लॉक ने लोकसभा चुनावों में उसे मिला लाभ अभी गँवाया नहीं है, लेकिन गठबन्धन को दो अन्य मोर्चा पर चुनौतियों का सामना करना है। पहली, कांग्रेस और सपा दोनों ने ही सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पर चुप्पी साध रखी है, जिसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को कोटा के अन्दर कोटा की स्वीकृति दे दी गई है। दूसरी, मायावती का यह निर्णय, कि वे इन चुनावों में उतरेंगी।

ये माधवी पुरी बुच ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से एम.बी.ए. किया था। उनके करियर की शुरुआत आई.सी.आई. बैंक से हुई थी। वर्ष 1993-95 के बीच उन्होंने इंग्लैंड के वेस्ट चार्ल्स कॉलेज के बतौर लेक्चरर काम किया। बारह साल तक उन्होंने कई कम्पनियों के सेल्स, मार्केटिंग और प्रोडक्ट डवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया।

वर्ष 2006 में उन्होंने आई.सी.आई.सी.आई. सिक्यूरिटीज को जॉइन किया तथा बाद में 2009 से 2011 तक इसके सी.ई.ओ. पद पर काम किया और 2011 में वे ग्रेंड प्रैक्टिस कैपिटल को जॉइन करने के लिए सिंगापुर चली गईं। उन्होंने कई कम्पनियों जैसे जैन्स टैकनॉलॉजीज, इनो वैन कैपिटल और मैक्स हेल्थ केयर के एजीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काम किया। उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ डवलपमेंट मैनेजमेंट के डायरेक्टर पद पर और न्यू डवलपमेंट बैंक में सलाहकार पद पर अपनी सेवाएं दी थीं। अप्रैल 2017 में

उन्हें सेबी का पूर्णकालिक डायरेक्टर बनाया गया तथा क्लैलिक्टव इन्वेस्टमेंट स्क्रीम, सर्विलांस एवं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का विभाग दिया गया। जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्हें सात सदस्यों वाली टैकनॉलॉजी कमेटी में नियुक्त किया गया था, टैकनॉलॉजी और डेटा एनॉलिस्टिक एप्लीकेशंस में महारथ के कारण उन्होंने इसमें भी कई लीडमार्क फैसले दिए।

18 साल की उम्र में उनकी सगाई धवल बुच से हुई जो कि तब एफ.एम.सी.जी. मस्ट्रीनैशनल, यूनिवर्सल में डायरेक्टर थे। जब माधवी 21 वर्ष की हुई तब उनकी शादी हो गई, जिससे उन्हें एक बेटा है अर्थात वे अपनी सफलता का श्रेय अपने बेटे और पति को देती हैं, जिन्हें वे अपना मित्र, सलाहकार व गाइड मानती हैं। जब 26/11 हुआ था, उस समय वे अपने पति के साथ ताज होटल में युनिवर्सल की मीटिंग में थीं।

‘हिंडनबर्ग की रिपोर्ट’, भारत में आर्थिक अराजकता फैलाने का षड्यंत्र’ है

भाजपा ने आरोप है लगाया कि कांग्रेस इस षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार है

नयी दिल्ली, 12 अगस्त (वार्ता)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट को झूठी और भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करार देते हुए आज कहा कि कांग्रेस ने हिंडनबर्ग के साथ देश में आर्थिक अराजकता फैलाने के लिए षड्यंत्र रचा है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, उसके आगे के समय और तथ्यों पर सवाल उठाते हुए जमकर हमला किया।

प्रसाद ने कहा कि हिंडनबर्ग के मुख्य निवेशक जॉर्ज सौरास हैं, जो भारत के विरुद्ध नियमित दुष्प्रचार चलाते हैं।

दूल्किट वालों को तो हिंदुस्तान के विकास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश पर 55 वर्षों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन, एक सुनिश्चित षड्यंत्र के तहत हिंडनबर्ग के साथ मिल कर काम कर रहे हैं। देश के शेरार बाजार को अस्थिर करने की कोशिश के साथ आर्थिक अराजकता फैलाने की साजिश हो रही है।

प्रसाद ने कहा कि तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी, विपक्षी गठबंधन के नेता और इनको प्रोत्साहित करने वाले दूल्किट के लोग देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता लाने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने

आई है। यह रिपोर्ट शनिवार को आती है और रविवार को इसपर हल्ला मचाया जाता है, ताकि सोमवार को देश के पूंजी बाजार को अस्थिर कर दिया जाए। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया के बड़े-बड़े वैश्विक संस्थानों ने भारत की वृद्धि दर की सराहना की है और देश में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है। भारत में कई संस्थागत और छोटे निवेशक हैं, जो मार्केट के रिटर्न से बहुत खुश हैं। सेबी की कानूनी जिम्मेदारी है कि शेरार बाजार ठीक से चले। सेबी अधिनियम में सुनवाई का प्रावधान है और निर्णय के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है। देश के

कैपिटल मार्केट प्रबंधन के लिए एक सशक्त वैधानिक संरचना है।

प्रसाद ने कहा कि पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और जनवरी में उच्चतम न्यायालय का आदेश आया था, जिसके बाद 2024 में 22 जांच पुरी की गईं। कांग्रेस जेपीसी की मांग करती है जबकि राहुल गांधी के पास वकीलों की फौज है, तो उन्होंने इन जांचों में सहयोग क्यों नहीं किया? उच्चतम न्यायालय के आदेश पर हुई जांच के बाद, जुलाई में सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया कि वह कानून के विरोध में लगाए गए आरोपों पर जवाब दे। हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर भी नोटिस के कारण का जिक्र किया है।

प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के हिन्दुओं का मुद्दा उठाया

नयी दिल्ली, 12 अगस्त (वार्ता) कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि वहां जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी।

प्रियंका गांधी ने कहा पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली हैं। किसी भी सम्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं।

उन्होंने जल्द ही हालात में सुधार की उम्मीद जताई और कहा हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे और वहां की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेगी।

सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच की भूमिका पर तलवारें ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुआ था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि बुच और उनके पति के उसी गुप्त नाम ऑफशोर बरमूडा एंड मॉरिशस फंड्स में कुछ छिपी हुई हिस्सेदारी थी। यह फर्म उसी कॉम्प्लेक्स में पाई गई। बरमूडा एंड मॉरिशस फंड्स का उपयोग विनोद अडानी करता था।

रिपोर्ट कहती है कि जब बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी, उसका ऑफशोर फंड के मैनेजरों से सम्पर्क रहता था तथा उसने “इंडिया इन्फोलाइन” को पर त्रिखला कि फंड की इकाइयों को मुक्त किया जाये। इसी दौरान, उसकी क्लिफ सिंगापुर की एक ऑफशोर कंसल्टिंग फर्म “आगोरा” में हो गई तथा सेबी की चेयरपर्सन नियुक्त होने के केवल दो सप्ताह बाद ही उसने अपने शेरार अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिये थे।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 40 से अधिक मीडिया जाँचों द्वारा प्रस्तुत एवं पुष्ट साक्ष्यों के बावजूद, सेबी

ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई खास सार्वजनिक कार्यवाही नहीं की है। रिपोर्ट कहती है कि सेबी की निष्क्रियता को उसी फंड को काम में लेने की बुच की सहअपराधिता से जोड़ा जा सकता है, जो अब संवीक्षा के अधीन है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी पर आई उसकी रिपोर्ट से लेकर अब तक के 18 महीनों में, “सेबी ने अडानी के मॉरिशस तथा ऑफशोर फर्मों के अडानी के कथित गुप्त जाल में बहुत ही कम रुचि दिखाई।”

सेबी प्रमुख तथा उसके पति ने “रिपोर्ट में लगाए आरोपों का निराधार तथा कपटपूर्ण बताया और इनसे इन्कार किया।

बोर्ड के सदस्यों के लिये सेबी का विधान कहता है कि वे अपने हितों, जो उनकी ड्यूटी के खिलाफ हो सकते हैं तथा परिजनों ट्रांज़ेक्शन के उजागर हैं।

किन्तु इस नवीनतम विवाद को देखते हुए यह पूछा जाना जरूरी है: जब नियामक अडानी ग्रुप से जुड़े आरोपों की

जाँच-पड़ताल कर रहा था, तो जो बातें सामने आईं, उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?

अडानी ग्रुप ने भी अपनी नियमित बीफिंग में हिंडनबर्ग के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण, बचकाना और चालाकीपूर्ण बताया है कि तथ्यों और कानून की जबर्न उपेक्षा कर सार्वजनिक जानकारी के चुनिंदा अंशों को व्यक्तिगत लाभ के लिए पूर्व निर्धारित निर्णयों के साथ प्रस्तुत किया गया। भाजपा ने सोमवार को आरोप लगाया कि हंगरी मूल के अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सौरास हिंडनबर्ग रिसर्च के मुख्य निवेशक हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद को यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि “आज हम कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका निवेश है? क्या आप जॉर्ज सौरास नामक सज्जन को जानते हैं जो भारत के खिलाफ नियमित रूप से दुष्प्रचार करते हैं? वे इसके मुख्य निवेशक हैं। उनके दिल में नरेंद्र मोदी के प्रति घृणा भरी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी भी भारत से घृणा करने लगी है।

उन्होंने आगे कहा कि “यदि भारत के शेरार बाजार में उथल-पुथल मचती है तो क्या छोटे निवेशकों को परेशानी नहीं होगी? कांग्रेस पार्टी के पास एक तो “दूल्किट” पॉलिटिक्स है और दूसरी है चिट पॉलीटिक्स। यदि परीक्षा में चिट्स पायी जाती है तो एक्शन लिया जाता है, लेकिन उस चिट्स का क्या करें जो कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को मिलती हैं? वे पूरे शेरार बाजार को तबाह करना तथा छोटे निवेशकों के पूंजीगत निवेश को रोकना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत में कोई भी आर्थिक निवेश ना हो।”

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि सेबी की अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि सेबी की विश्वसनीयता के साथ समझौता किया गया है और उसके बाद से भारतीय शेरार बाजार में स्थिति जोखिमपूर्ण है।

हाल ही आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

“एक्स” पर डाली गई एक पोस्ट में मांग की कि सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी) की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच जॉइंट पॉलिसीमैट्रो कमेटी (जे.पी.सी.) से करायी जानी चाहिए, क्योंकि सेबी ने हिंडनबर्ग की जनवरी 2023 की रिपोर्ट में हुए खुलासों के बाद प्रधानमंत्री के विश्वस्थ साथी अडानी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्लीन चिट दे दी थी। तथापि, सेबी प्रमुख पर आपसी सहायता करने के नए आरोप सामने आये हैं।

खड़गे ने आगे कहा कि “अपनी गाढ़ी कमाई का स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लघु एवं मध्यम निवेशकों के संरक्षण की जरूरत है क्योंकि उनका सेबी पर विश्वास है। इस महाघोटाले की तह में जाने के लिए जे.पी.सी. जांच जरूरी है।

खड़गे ने कहा कि “तब तक यही माना जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के उन संवैधानिक संस्थानों की कीमत पर अपने सहयोगियों को बचाना जारी

रखेंगे, जिन्हें पिछले सात दशकों में बड़ी मुश्किल से खड़ा किया गया है।”

हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के दावों-प्रतिदावों के बावजूद पर्याप्त मात्रा में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं कि मोदी सरकार द्वारा नियुक्त सेबी अध्यक्ष ने पक्षतापूर्ण काम किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जांच के आदेश से उन्हें स्वयं को अलग कर लेना चाहिए था।

शीर्ष अदालत के हिसाब से देखा जाए तो सुरम्य है कि सेबी के निर्णय संदेहास्पद तथा सही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट को सभी बातों को ध्यान में रख नए रहस्योद्घाटनों के हिसाब से स्वतः प्रेरित संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट को अडानी के प्रति पक्षपात करने को लेकर बुच के भी गुणागुण की जांच करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट को बुच ने यह प्रश्न करना चाहिए कि जब वह दावा करती हैं कि उनके धन का लेन-देन एक खुली किताब है तो फिर वह बेनामी विदेशी इकाइयों के जरिए अपने धन को क्यों घुमा रही हैं?

सिंघानिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताने को कहा है कि सिंघानिया युनिवर्सिटी के खिलाफ एन.एम.सी. की ओर से शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सिंघानिया युनिवर्सिटी से एम.बी.बी.एस. करने वाली रंजना जांगड़ा व अन्य की याचिकाओं पर दिए।

सुनवाई के दौरान एन.एम.सी. की ओर से कहा गया कि उन्होंने राज्य सरकार को समय रहते हुए सूचना दे दी थी कि सिंघानिया युनिवर्सिटी को एम.बी.बी.एस. कोर्स चलाने की मंजूरी नहीं है, इसलिए युनिवर्सिटी के एम.बी.बी.एस. कोर्स को बंद किया जाए। वहीं, यू.जी.सी. ने कहा कि उन्होंने तो केवल युनिवर्सिटी को बी.एड. सहित अन्य कोर्स चलाने की मंजूरी दी थी, उन्होंने एम.बी.बी.एस. कोर्स चलाने के लिए कभी अनुमति नहीं दी थी। अदालत ने एन.एम.सी. व यू.जी.सी. का पक्ष जानने के बाद राज्य के ए.सी.एस. उच्च शिक्षा को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। मामले से जुड़े अधिवक्ता सुनील कुमार सिंघानिया ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2016-17 में नीट की परीक्षा दी थी और उसमें वे पात्र घोषित किए गए। इस दौरान सिंघानिया वि.वि. ने एक विज्ञापन जारी कर एम.बी.बी.एस. कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे। जिस पर याचिकाकर्ताओं ने युनिवर्सिटी में एम.बी.बी.एस. कोर्स में प्रवेश ले लिया और 2022 में एम.बी.बी.एस. कोर्स कर भी लिया, लेकिन जब उन्होंने एन.एम.सी. में प्रवेश करने के लिए आवेदन किया तो यह कहते हुए उनका रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया गया कि सिंघानिया युनिवर्सिटी एन.एम.सी. से मान्यता प्राप्त नहीं है और इसलिए उनका एम.बी.बी.एस. कोर्स वैध नहीं है। इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने आर.एम.सी. में उनका रजिस्ट्रेशन करवाने और उनकी एम.बी.बी.एस. की डिग्री को वैध करार देने का आग्रह किया।